संकाय सदस्यों की निपुणता व अनुभव को सुदृढ़ बनाने की ओर लक्षित है। वर्तमान उन्नति, संशोधित कार्यप्रणाली, चुनौती देने वाले मामलों के निपटान के लिए तकनीक, इस कार्यक्रम के प्रमुख अंग हैं।

अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम

अभिभावक या माता-पिता:माता पिता या अभिभावक पुनर्वास प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं, अतएव, अभिभावकों के लिए अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिससे वे अपने बच्चों की स्थिति समझते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बन सके।

परिवार कुटीर सेवाएँ

परिवार - एक महत्वपूर्ण सामजिक संस्था है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए तुरंत उपलब्ध रहने वाला संसाधन है, अत: दूर दराज से आनेवाले परिवारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम घर जैसे वातावरण में आयोजन किया जाता है जो कैम्पस में ही स्थित है। इस कार्यक्रम का मुख्य अंग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गृह आधारित प्रबंधन व प्रशिक्षण का आयोजन करना है।

सी.बी.आर. पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

पुनर्वास की प्रक्रिया में समुदाय की महत्ता पर जोर देते हुए समय समय पर सी.बी.आर. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिससे प्रभावी योगदान के लिए सुविधा मिल जाती है।

आउटरीच कार्यक्रम

पहुँच के बाहर रहने वाले व्यक्तियों तक पहुँचने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान का आयोजन किया जाता है जहाँ योग्य दिव्यांग व्यक्ति को पहचाना जाता है और एडिप योजना के अंतर्गत सहायता दी जाती है।

सी.आर.सी. एवं विस्तरण केन्द्र

केरल के कोझिकोड तथा महाराष्ट्र के नागपुर में स्थापित संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों में मुख्यालय में प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएँ प्रदान की जाती है ताकि, दिव्यांगजनों को संबंधित राज्य में आवश्यक पुनर्वास दिया जा सके। इसी तरह के प्रयास में, राज्य सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों अर्थात, एसआरटीसी, चेन्नई, जीएलआरएएफ चेन्नई, अश्विनि गुडलुर, निलगिरीस, आरजीएनआईवाईडी, श्रीपेरुम्बुदुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भुवनेश्वर-उडीषा तथा अंदमान व निकोबार द्वीप समूह में विस्तारण केन्द्रों को स्थापित किया गया। जबकि समग्र क्षेत्रीय केन्द्र एन.आई.ई.पी.एम.डी. के सीधे पर्यवेक्षण में कार्य कर रहे हैं, विस्तारण केन्द्र एमओयु के अनुसार, राज्य सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों से संपर्क बनाये रख कर पर्यवेक्षण किया जाता है।

सीआरसी एवं विस्तारण केन्द्र न केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर से सुदृढ किये जा रहे हैं, बल्कि कई अन्य तरह से भी विकसित किये जा रहे हैं ताकि दिव्यांगजनों को उस क्षेत्र में अति उत्तम सेवाएँ प्रदान कर सके।

पुनर्वास - एक संयुक्त जिम्मेदारी है, अत:बहु दिव्यांजनों के जीवन सुधारने में हाथ बटाएँ।

"मुख से प्रार्थना करने से ज्यादा, हाथों से की जाने वाली सेवा पवित्र है।"

"Hands that do Service are holier than the lips that do Pray".

Mother Theresa

एन.आई.ई.पी.एम.डी. तक पहुँचने का सडक मार्ग

एन.आई.ई.पी.एम.डी. तक पहुँचने का सडक मार्ग

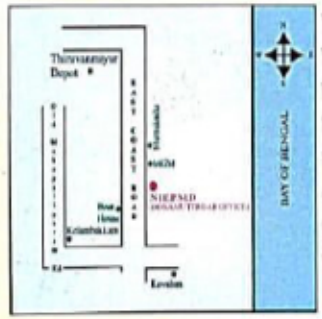

बस से पहुँचने का मार्ग :

पत्तुर– कोवलम	: 566B
चेन्नई ब्रॉडवे - कोवलम	: 109, 19G, 19E
ताम्बरम– कोवलम	: 517
त्रिवन्मयूर– कोवलम	: 109 (Cut service)
चेन्नई टी नगर - मामल्लापुरम	: 599
अडियार - मामल्लापुरम	: 588
कोवलम- ताम्बरम	: T151K, T151
तिरुपुरुर - ब्रॉडवे	: 587

बस स्टाप : एन.आई.ई.पी.एम.डी. बस स्टाप

Toll-Free No: 1800-425-0345

NIEPMD

SCAN QR CODE TO DOWNLOAD BROCHURE

राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान

(एन.आई.ई.पी.एम.डी.)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

सुगम वेबसाईट - 2011 एवं दिव्यांगजन के लिए अनावरोध परिसर के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार – २०१२ से पुरस्कृत

ईस्टकोस्ट रोड, मुत्थुकाडु, कोवलम (पोस्ट)

चेन्नई– 603112, तमिलनाडु

फोन : 044-27472113, 27472423,27472104

फैक्स : 044-27472389

वेबसाईट :www.niepmd.tn.nic.in

ईमेल:niepmd@gmail.com

कार्यकाल :

सोमवार से शुक्रवार तक (प्रात: 9.00 बजे से - सायं 5.30 बजे तक)

Toll-Free No : 1800 425 0345

एन.आई.ई.पी.एम.डी. के बारे में

राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, सन् 2005 में, ईस्टकोस्ट रोड, मुत्थुकाडु, कोवलम पोस्ट, तमिलनाडु (चेन्नई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन से, मोफुसिल बस टर्मिनस् से, एवं एयरपोर्ट से 30 कि.मी. दूरी पर स्थित) में विकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन, दो या उससे अधिक विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए बहु विकलांग व्यक्तियों अधिकारिता के लिए एक राष्ट्रीय स्तर संसाधन केन्द्र के रूप में सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

बहु विकलांगता अर्थात्, निम्नलिखित में से एक से अधिक विकलांगता से ग्रस्त होना जैसे, दृष्टिवाधित, कम दृष्टि, उपचार किये गये कुष्ठ रोगी, श्रवणवाधित (बहरा और सुनने में कठिनाई महसूस करना), गति संबंधी विकलांगता, बौनापन, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक रोग, आटीज्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर, प्रमस्तिष्क आघात, मांसपेशियों का दुर्विकास, बहुकालिक स्नायुविक स्थिति, विशिष्ट अधिगम विकलांगताएँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस्, वाणी व भाषा विकलांगता, थैलासेमिया, हेमोफैलिया, सिकल सेल रोग, बधिरांध, ऐसिड ऐटैक का शिकार, पार्किनसन रोग सहित बहुविध विकलांगताएँ। वह स्थिति जिसमें एक व्यक्ति को श्रवण व दृष्टि क्षति रहती है जिससे संप्रेषण, विकास तथा शैक्षणिक संबंधी समस्याओं का कारण बनजाता है।

परिभाषा के अनुसार एवं आरपीडबल्युडी अधिनियम 2016 के अनुसरण में, कोई भी व्यक्ति, अधिनियम में उल्लिखित 21 विकलांगताओं में से एक या उससे अधिक विकलांगताओं से ग्रस्त हो तो, वह इन सेवाओं से लाभ उठा सकता है।

उद्देश्य

- बहु विकलांग व्यक्तियों का प्रबंधन, प्रशिक्षण, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार एवं समाजिक विकास के लिए मानव संसाधन विकसित करना
- बहु विकलांग से संबंधित [illegible] अनुसंधान को प्रोन्नत करना व संचालन करना
- बहु विकलांग व्यक्तियों के विभिन्न समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतर्विषयी नमूने एवं कार्यनीतियाँ विकसित करना
- बहु विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवा व आउटरीच कार्यक्रम

सेवाएँ

यह संस्थान बहु विकलांग व्यक्तियों के लिए समग्र पुनर्वास सेवाएँ प्रदान कर रहा है जिसमें निम्नलिखित शामिल है-

- प्रारंभिक अंतराक्षेपण
- शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास
- भौतिक चिकित्सा
- व्यावसायिक चिकित्सा
- स्पेशल स्कूल
- समावेशी प्रारंभिक विद्यालय
- कौशल विकास कार्यक्रम
- अभिभावक अधिकारिता कार्यक्रम
- एन.आई.ओ.एस. •
- संवेदात्मक समाकलन चिकित्सा(SIT)
- विशेष शिक्षा सेवाएँ
- मनोवैज्ञानिक अंतराक्षेपण
- वाणी व श्रवण अंतराक्षेपण
- वयस्क स्वतंत्रजीवन यापन कार्यक्रम
- परामर्श व मार्गदर्शन
- प्रोस्थेटिक व आर्थोटिक सेवाएँ
- मोबाईल सेवाएँ एवं सी.बी.आर.कार्यक्रम
- आउटरीच तथा एक्स्टेन्शन सेवाएँ
- अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम
- साधन व उपकरणों का वितरण
- राहत देखभाल सेवाएँ
- परिवार कुटीर सेवाएँ
- प्रचार व प्रलेखीकरण सेवाएँ
- टोल-फ्री हेल्पलाईन

•संबद्धता की प्रतीक्षा है।

मानव संसाधन विकास

यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो मानवशक्ति की वृद्धि के द्वारा वैश्विक मानक की उन्नति को प्रकाश में लाएगा और टैक्नालाजी को फैलाएगा। मुख्य पाठ्यक्रम, संबंधित पाठ्यक्रम, विभिन्न लक्षित समूहों को विभिन्न विषयोंमें प्रशिक्षण एवं कुछ अन्य संरचित एच.आर.डी. कार्यक्रमों पर एन.आई.ई.पी.एम.डी. ध्यान देकर कार्यान्वित करता है।

दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम

- सीसीसीजी (ए लेवेल) - एनटी
- सीसीसीजी (बी लेवेल) - एनटी
- डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (आटीज्म स्पेक्ट्रम डिसार्डर)
- डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (सेरेब्रल पालसी)
- डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (मल्टीपल डिसेबिलिटीज़)
- डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (डेफ ब्लाईड)
- बीपीटी
- बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एएसडी)
- बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एमडी)
- बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (डीबी)
- एम.एड. स्पेशल एजुकेशन(एमडी)
- एम.एड. स्पेशल एजुकेशन(एएसडी)
- एम.फिल. (क्लिनिकल साईकोलोजी)
- पीजीडीडीटी (एमडी पी व एन)••
- पीजीडीईआई••
- बीओटी•
- सीसीसीजी•-आर.सी.आई.
- पी.एच.जी. डिसेबिलिटी स्टडीज़•
- एम.ए. (सोशल वर्क - डिसेबिलिटी स्टडीज)•

• संबद्धता की प्रतीक्षा है।

अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह कार्यक्रम, अच्छे से अच्छी सेवाएँ प्रदान करने के लिए व्यावसायिकों,